संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के प्रगतिशील कानून

नागरिकों को सशक्त बनाना

कानून	लाभार्थी वर्ग
राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम देश में सभी ग्रामीण परिवारों के लिए काम करने का अधिकार, 100 दिन की रोजगार गारंटी, दुनिया में अपनी तरह का पहला कानून	हाथ से अदक्ष काम करने के इच्छुक **सभी ग्रामीण परिवार।** 2008–09 में फिलहाल 3.59 करोड़ लोग रोजगाररत जिनमें से 49 प्रतिशत महिलाएं, 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 24 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के हैं।
सूचना का अधिकार अधिनियम सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए हर नागरिक को अधिकार उपलब्ध कराता है।	**सभी नागरिक** अब सरकार के कार्यों के बारे में सूचना प्राप्त करने के अधिकार का दावा करने के लिए सशक्त हैं।
असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम अधिनियम के तहत तैयार स्कीमों के जरिए अनेक सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराता है।	असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे **36 करोड़ लोग** अधिनियम के तहत लाभ लेने के लिए योग्य हैं।
केंद्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को प्रवेश सुनिश्चित करता है।	**अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित विद्यार्थी योग्य**
अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन वासी (वनाधिकारों की पहचान) अधिनियम अनुसूचित जनजातियों और अन्य वन वासियों को अपने कब्जे वाली भूमि पर अधिकार उपलब्ध कराता है।	**सभी अनुसूचित जनजातियां जिनका वर्ष 2005 से पूर्व, भूमि पर ऐतिहासिक कब्जा है** **अन्य पारंपरिक वन वासी** जिनका 2005 से पहले, तीन पीढ़ियों से (75 वर्ष) भूमि पर ऐतिहासिक कब्जा है।
ग्राम न्यायालय अधिनियम	**ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोग**

मोबाइल(चलती–फिरती) स्थानीय अदालतों के जरिए तेजी से न्याय उपलब्ध कराना	
घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम यह अधिनियम उन महिलाओं को अधिक प्रभावी सुरक्षा देता है जो परिवार के भीतर होने वाली हिंसा की शिकार हैं और ऐसी हिंसा से निपटने के लिए उनको नागरिक उपाय उपलब्ध कराता है।	**सभी महिलाएं**
भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन पर विधेयक तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के लिए विधेयक सरकार जिनकी भूमि अधिग्रहित करती है उन लोगों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति और सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संसद में ये विधेयक पेश किए गए हैं तथा ये सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ऐसे अधिग्रहण की संभावना को भी सीमित करते हैं।	**सभी भूमि स्वामी**
शिक्षा के अधिकार के बारे में विधेयक गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्यों का कर्त्तव्य बनाने वाला विधेयक संसद में पेश किया गया है।	**6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों के लिए लाभप्रद**
लोक सभा और राज्य विधान–मंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षण संसद में पेश। लोक सभा और राज्य विधान–मंडलों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराता है।	**सभी महिलाएं**
साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक,	**साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाओं से प्रभावित लोग**

2005 संसद में पेश। यह विधेयक साम्प्रदायिक हिंसा के निवारण और नियंत्रण के लिए है, गवाहों की सुरक्षा करता है, मामलों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करता है तथा साम्प्रदायिक हिंसा के शिकार लोगों को राहत, पुनर्वास और क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करता है।	

———

सम्मिलित समाज और एक मजबूत राष्ट्र की ओर

अल्पसंख्यकों के लिए बराबर अवसर

उद्देश्य

- अल्पसंख्कों को शिक्षा, क्रेडिट, रोजगार, बुनियादी संरचना और आवास जैसी आधारभूत सेवाओं की सुविधा सहित फायदों का बराबर हिस्सा सुनिश्चित करना

क्या किया गया ?

- अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम जून, 2006 में शुरू किया गया। यह फायदों का बराबर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक केंद्रित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं और स्कीमों को निश्चित अनुपात में स्थापित करने पर जोर देता है।
- कार्यक्रम के तहत, अल्पसंख्यकों की उल्लेखनीय आबादी वाले शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में 10,000 से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों और 363 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाए गए।
- अल्पसंख्यक संचालित उद्यमों में क्रेडिट प्रवाह बढ़ाया गया। वर्ष 2007–08 में प्राथमिकता क्षेत्र की कुल उधारी का 10 प्रतिशत, यानी 58,662 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध कराई गई। प्राथमिकता क्षेत्र की उधारी में से अल्पसंख्यकों के लिए उधारी का लक्ष्य वर्ष 2008–09 के लिए 86,774 करोड़ रूपए है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को अल्पसंख्यकों की उल्लेखनीय आबादी वाले जिलों में अधिक शाखाएं खोलने का निर्देश दिया गया है। ऐसे जिलों में 2007–08 के दौरान 523 शाखाएं खोली गईं। वर्ष 2008–09 के दौरान 31 दिसम्बर, 2008 तक 329 शाखाएं खोली गई हैं।
- सरकारी सेवा और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुधारने के लिए संशोधित मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं। वर्ष 2006–07 के दौरान केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में अल्पसंख्यकों

की भर्ती 6.95 प्रतिशत थी जो 2007–08 में सुधरकर 8.65 प्रतिशत हो गई।

- जुलाई, 2007 में कोचिंग एवं संबंधित स्कीम शुरू की गई। उम्मीदवारों की कोचिंग के लिए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
- अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए तीन छात्रवृत्ति स्कीम शुरू की गई हैं। 31,325 मैरिट–कम–मीन्स, 1.49 लाख मैट्रिक बाद और 2.75 लाख मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियों को मंजूरी दी गई। लड़कियों के लिए 50 प्रतिशत से अधिक छात्रवृत्तियों को मंजूरी दी गई। अगले चार सालों में, 40 लाख से अधिक बच्चों और युवाओं को इस दायरे में लाया जाएगा।
- अल्पसंख्यकों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से संबंधित 2,64,470 लोगों को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना–एसजीएसवाई के तहत स्व–रोजगार के लिए सहायता उपलब्ध कराई गई। इसी प्रकार इंदिरा आवास योजना के तहत पक्के मकान बनाने के लिए 3.23 लाख अल्पसंख्यक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को सहायता उपलब्ध कराई गई।
- विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम : अल्पसंख्यक केंद्रित 90 जिलों में विकास की कमी से निपटने के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, बिहार, मेघालय, झारखंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 43 जिलों के लिए योजना का अनुमोदन किया गया और 31 दिसम्बर 2008 तक 195,82 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं।
- मौलाना आज़ाद शैक्षणिक प्रतिष्ठान की शिक्षा विकास गतिविधियों के विस्तार के लिए इसके कॉरपॅस को दोगुने से अधिक बढ़ाया गया है।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम को मजबूत बनाया गया है। अपने प्रारंभ से इसने 4.25 लाख लाभार्थियों की मदद की और करीब 1200 करोड़ रूपए वितरित किए।
- शिक्षकों को बेहतर वेतन उपलब्ध कराने के लिए, किताबों, शिक्षण सामग्री और कम्प्यूटरों के लिए सहायता बढ़ाने तथा व्यावसायिक विषय प्रारम्भ करने इत्यादि के लिए मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को संशोधित किया गया है।

———

अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वनवासी
(वन अधिकारों की पहचान)अधिनियम, 2006

जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कानून

उद्देश्य

- अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को उनकी ऐतिहासिक कब्जे वाली भूमि से संबंधित अधिकार देना
- अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को लघु वन उत्पादों के संग्रह, इस्तेमाल और निपटारे संबंधी अधिकार उपलब्ध कराना
- अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को सामुदायिक उद्देश्यों के लिए भूमि पद अधिकार उपलब्ध कराना

प्रमुख विशेषताएं

- दिसम्बर 2005 तक जिस भूमि पर अनुसूचित जनजातियों का कब्जा था, उस भूमि का अधिकार उनको देना
- जो जमीन तीन पीढ़ियों यानी 75 वर्ष से अन्य पारंपरिक वनवासियों के कब्जे में है, उनको उसका अधिकार देना
- अधिकार प्रदान करने और वैकल्पिक भूमि के प्रावधान को छोड़कर संरक्षित क्षेत्रों से भी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों का कोई विस्थापन नहीं
- चार हेक्टेयर तक की भूमि के लिए मालिकाना हक के काग़ज़ात देना
- पति–पत्नी दोनों के संयुक्त नाम भूमि के मालिकाना हक का पंजीकरण
- वनों और जैव विविधता के प्रबंधन में अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को शामिल करने के इरादे से अधिनियम
- भूमि के मालिकाना हक के काग़ज़ात के लिए राज्य जिम्मेदार

अखिल भारतीय कार्य निष्पादन

• कानून अधिसूचित किया गया	31.12.2007
• दावे दाखिल	15.50 लाख से अधिक
• मालिकाना हक के काग़ज़ात वितरित	अब तक एक लाख। वितरण की प्रक्रिया जारी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा)
काम करने के अधिकार की गारंटी

उद्देश्य

- देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को हर साल 100 दिन के रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराना
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने और परिसंपत्ति सृजन के दोनों लक्ष्यों को संयुक्त बनाना

प्रमुख विशेषताएं

- काम के अधिकार के लिए कानूनी गारंटी उपलब्ध कराने का दुनिया में अपनी तरह का पहला प्रयास
- देश के सभी जिले शामिल
- ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ग्रामीण परिवार, जिनके वयस्क सदस्य वालंटियर अदक्ष हाथ का काम करने के योग्य हों
- अधिनियम के तहत जॉब कार्ड नरेगा पर काम करने और इसके लिए आवेदन करने के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार का अधिकार है
- ग्राम स्तरीय योजना के जरिए काम को चुनने का विकल्प और 50 प्रतिशत या अधिक कार्य पंचायती राज संस्थाओं को संचालित करना है
- कार्य का ध्यान जल संरक्षण, भूमि विकास, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की निजी भूमि पर सिंचाई सुविधा का प्रावधान, ग्रामीण संपर्कता इत्यादि जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित रहता है
- नरेगा कार्यों में ठेकेदारों पर प्रतिबंध है
- भुगतान डाक घरों और बैंक खातों के जरिए किया जाता है
- सरकार अगर आवेदन करने के 15 दिन के भीतर जॉब उपलब्ध कराने में असमर्थ रहती है तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है
- सभी मस्टर रोल इंटरनेट पर चढ़ाए जाने हैं
- सामाजिक ऑडिट अनिवार्य है

क्या किया गया ?

- वर्ष 2007–08 में 3.4 करोड़ लोगों को और दिसम्बर 2008 तक 3.5 करोड़ लोगों को जॉब उपलब्ध कराया गया
- वर्ष 2008–09 के दौरान नरेगा में काम करने वालों में 49 प्रतिशत महिलाएं, 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 25 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति से संबंधित थे
- फरवरी 2006 में कार्यक्रम के प्रारम्भ से, इस पर कुल 41,700 करोड़ रूपए खर्च हो चुके हैं
- 46 लाख कार्य चलाए गए जिनमें से 19 लाख पूरे हो चुके हैं
- वर्ष 2008–09 के दौरान किए गए काम में जल संरक्षण, सिंचाई और भूमि विकास का योगदान 83 प्रतिशत था
- नरेगा के असर के अध्ययन से पलायन में कमी, कृषि उत्पादकता में सुधार और न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि का पता चलता है
- न्यूनतम मजदूरी 2006–07 में 65 रूपए थी जो बढ़कर 2008–09 में 83 रूपए हो गई
- वित्तीय चंदे में योगदान के लिए डाक घरों और बैंकों में नरेगा के लाभार्थियों के 6 करोड़ खाते खोले गए

———

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

ग्रामीण भारत के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल

उद्देश्य

- ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और उपलब्धता में सुधार करना
- शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर में कमी लाना
- संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों का निवारण और नियंत्रण
- व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच उपलब्ध कराना
- ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी संरचना और सेवाओं को मजबूत बनाना
- स्थानीय स्वास्थ्य पंरपराओं और भारतीय औषधि प्रणाली की मुख्यधारा को पुनर्जीवित करना

क्या किया गया है ?

- गांवों में सेवाएं उपलब्ध कराने में 6.48 लाख त्वरित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (आशा) और लिंक वर्कर संलग्न हैं
- संयुक्त निधि से 1,30,812 उप–केंद्र पूरी तरह प्रकार्यात्मक बनाए गए और ग्राम स्वास्थ्य समितियां इनका पर्यवेक्षण करती हैं
- कार्मिकों की संख्या बढ़ने से अब 11,135 सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौबीस घंटे सेवाएं उपलब्ध कराते हैं
- रोगी कल्याण समितियां सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का पर्यवेक्षण करते हैं
- उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 200 जिला अस्पतालों को सुदृढ़ बनाया गया है
- सभी जिलों के लिए एकीकृत जिला स्वास्थ्य योजनाएं तैयार की गईं और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई

- सांस्थानिकी सुपुर्दगी में 7 गुणा वृद्धि, 2005 में 7 लाख से बढ़कर 2008 में 51 लाख हो गई

व्यय

- कार्यक्रम पर अप्रैल 2005 से दिसम्बर 2008 के बीच 31,227 करोड़ रूपए खर्च किए गए

———

विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां

बराबर अवसर और उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देना

उद्‌देश्य

- सबको शिक्षा सुलभ कराने के जरिए बराबर अवसर उपलब्ध कराना
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर देते हुए उत्कृष्ट शिक्षा को प्रोत्साहन देना

क्या किया गया ?

- पांच साल में जीवन के विविध क्षेत्रों से एक करोड़ से अधिक युवाओं को दायरे में लाने के लिए नई छात्रवृत्ति स्कीमें शुरू की गईं। इन युवाओं में गुणवान विद्यार्थी, अल्पसंख्यक, युवा वैज्ञानिक, लड़कियां, त्सुनामी पीड़ितों के बच्चे, सेना और अर्द्धसैनिक बलों में काम करने वालों के बच्चे तथा उच्च शिक्षा एवं पेशेवर योग्यताएं प्राप्त करने के इच्छुक शामिल हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए चलाई जा रही मौजूदा स्कीमों का विस्तार किया गया और उदार बनाया गया।
- छात्रवृत्ति स्कीमों के लिए हर साल 1500 करोड़ रूपए से अधिक का प्रावधान किया गया।
- मौजूदा कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के तहत हर साल, करीब 6.5 लाख विद्यार्थियों (मुख्य रूप से सफाई कर्मचारियों के परिवारों के) को हर वर्ष मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां दी गईं। अनुसूचित जनजाति के करीब 10. 50 लाख विद्यार्थियों को मैट्रिक बाद छात्रवृत्तियां दी गईं। अनुसूचित जाति के करीब 35 लाख विद्यार्थियों को मैट्रिक बाद छात्रवृत्तियां दी गईं। अन्य पिछड़े वर्ग के करीब 25 लाख विद्यार्थियों को मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक बाद छात्रवृत्तियों के लिए सहायता दी गई।
- अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों को पांच वर्षों में करीब 40 लाख मैरिट–कम–मीन्स, मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक बाद छात्रवृत्तियां उपलबध कराने के लिए तीन नई छात्रवृत्तियां शुरू की गईं। अब तक

करीब 5 लाख छात्रवृत्तियां दी जा चुकी हैं जिनमें से 50 प्रतिशत से अधिक लड़कियों को दी गईं।

- माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय स्कीम शुरू की गई जिसके तहत 5 साल में 1515 करोड़ रूपए की लागत से 52 लाख लड़कियों को शामिल करना है।
- विज्ञान की ओर प्रतिभाओं को जल्दी ही आकर्षित करने की स्कीम के तहत, 10 से 15 वर्ष के आयु वर्ग में 10 लाख विद्यार्थियों को 5000 रूपए (प्रत्येक) उपलब्ध कराए जाएंगे।
- हर साल करीब 82,000 विद्यार्थियों को योजना के दायरे में लाने के लिए कालेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए नई छात्रवृत्ति स्कीम शुरू की गई।
- जैवप्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2004 के बाद छात्रवृत्ति की छह स्कीम शुरू की गईं जो इस प्रकार हैं– नूतन युवा जैवप्रौद्योगिकीविद् पुरस्कार (49 पुरस्कार और 5 साल के लिए 31.5 करोड़ रूपए आबंटित), रामलिंगास्वामी छात्रवृत्ति (40 पुरस्कार और 5 साल के लिए 143.51 करोड़ रूपए आबंटित), टाटा नूतन छात्रवृत्ति (20 पुरस्कार और 5 साल के लिए 4.44 करोड़ रूपए आबंटित),कनिष्ठ अनुसंधान छात्रवृत्ति (287 पुरस्कार और 5 साल के लिए 83.75 करोड़ रूपए आबंटित), उपयुक्त क्षेत्रों में युवा वैज्ञानिकों के लिए असोसिएटशिप (112 पुरस्कार , 30 करोड़ रूपए) और डीबीटी–वेलकम ट्रस्ट छात्रवृत्ति (648 करोड़ रूपए)।
- किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 2004 में और फिर 2008 में दुगुना किया गया। यह पुरस्कार हर वर्ष 1. 5 करोड़ रूपए की लागत से करीब 200 उम्मीदवारों को दिया जाना है।
- उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत 17–22 वर्ष की आयु वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर कराने के लिए 10,000 छात्रवृत्तियां (/80ए000 रूपए प्रति वर्ष) उपलब्ध कराई जाती हैं
- अनुसंधान कॅरियर के लिए सुनिश्चित अवसर योजना 22–27 वर्ष के आयु वर्ग में बुनियादी और अनुप्रयोगिक विज्ञानों में डॉक्टोरल छात्रवृत्ति

उपलब्ध कराती है। ग्यारहवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 2000 करोड़ रूपए से अधिक उपलब्ध कराए गए हैं।

- देश की चोटी की संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा सुलभ कराने के लिए **टॉप क्लास** शिक्षा की स्कीमें शुरू की गई हैं। हर साल करीब 3000 विद्यार्थियों को लाभ पंहुचाने हेतु अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति शुरू की गई। विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने हेतु अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप शुरू की गई।
- त्सुनामी पीड़ितों के बच्चों के लिए प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम के तहत, स्कूलों में कक्षा 10 तक पढ़ने वाले 1.65 लाख बच्चों को 300 रूपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। यह स्कीम 10 वर्ष तक चलेगी क्योंकि उस समय तक प्रत्येक बच्चा 10 वीं कक्षा पूरी कर लेगा।
- सैन्य और अर्द्धसैनिक बलों के लिए प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की गई। यह स्कीम अधिकारी स्तर से नीचे के कर्मियों के बच्चों को हर साल 4000 से अधिक स्कॉलरशिप उपलब्ध कराती है। अब तक 18.5 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं।

———

सबके लिए शिक्षा

उद्देश्य

- 14 साल तक के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना
- सबको माध्यमिक स्तर तक (10 वीं कक्षा तक) शिक्षा उपलब्ध कराना
- उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ बनाना

क्या किया गया ?

- **निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक, 2008** संसद में पेश किया गया।
- सर्वशिक्षा अभियान के लिए निधि में महत्त्वपूर्ण वृद्धि की गई, 10वीं योजना में यह निधि 17,000 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 11वीं योजना में 71,000 करोड़ रूपए कर दी गई।
- स्कूलों में नामांकन संख्या बढ़कर 18.5 करोड़ हो गई जो 2003–04 में 15.6 करोड़ थी। स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या 320 लाख से घटकर 76 लाख हो गई।
- वर्ष 2004 में **पका हुआ गरम मध्याह्न भोजन** राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। देश भर में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के 12 करोड़ से अधिक बच्चे पौष्टिक मध्याह्न भोजन प्राप्त कर रहे हैं।
- माध्यमिक शिक्षा को सुलभ और वहनीय बनाने के लिए 20,000 करोड़ रूपए के आबंटन के साथ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया गया।
- शैक्षिक रूप से पिछड़े खंडों में 2,500 उच्च गुणवत्ता माडल स्कूल स्थापित किए जा रहा हैं।
- छह नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–आईआईटी चालू : बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिसा, गुजरात और पंजाब में एक एक। मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में 2009–10 के दौरान दो नए आईआईटी चालू हो जाएंगे।

- शिलंग में नया भारतीय प्रबंधन संस्थान– आईआईएम स्थापित किया गया। ग्यारहवीं योजना के दौरान छह और आईआईएम खोले जाएंगे।
- 15 नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों का अनुमोदन किया गया।अब हर राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा।
- कोलकाता, पुणे, मोहाली, भोपाल और तिरूअनंतपुरम में पांच नए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों में कार्य शुरू हो गया।
- भोपाल और विजयवाडा में योजना और वास्तुकला के दो नए स्कूलों की स्थापना की गई।
- उच्च शिक्षण संस्थाओं को कम्प्यूटर एवं इंटरनेट इत्यादि से सुसज्जित करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा मिशन शुरू किया गया।
- रोजगार केंद्रित व्यावसायिक शिक्षा के अवसर बढ़ाने के लिए खंड स्तरों पर 1500 आईटीआई की स्थापना की जानी है।

———